**विषयः-वित्तीय वर्ष वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-45/2015/2240/52-3-14- बजट(28)/2015**

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी 1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 तथा आपके पत्र सं0-2162/अ0स0क0नि0-983/दशमो0छा0वृ0/2015-16 दिनांक 14.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(12) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 30,12,00,000/- (रू0 तीस करोड़ बारह लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2016 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालयों/मदरसों के विरू छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमे छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखतेहुयेउन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती हैतो इसके लियेसंबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करनेका प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करनेसे पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय -समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों का कड़ाई सेअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2015-16 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होनेवाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यको का कल्याण-0301-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों/छात्राओं छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तिया और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी 1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(श्रीप्रकाश सिंह )
सचिव

संख्या-2240(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

3-मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग, लखनऊ

4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in